प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.900 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक 12.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त गूलू पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ई-2/21 ई ब्लाक करावल नगर दिल्ली हाल पता अमन गार्डन इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1.900 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे बाहर से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते है उससे अपने शौक पूरे करता हूँ। आज मैं गांजे को बेचने के लिए ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में आया था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

गूलू पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ई-2/21 ई ब्लाक करावल नगर दिल्ली हाल पता अमन गार्डन इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कुल 1.900 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग व चोरी का 01 अभियोग तथा थाना खजूरी खास दिल्ली पर स्नैचिंग का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सिहानी गेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस को दिनांक 11.01.2026 को प्रातः समय लगभग 07:15 बजे पीआरवी-2147 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रायल किंग होटल, रोहन मोटर्स कट, पटेल मार्ग पर एक महिला अपने कमरे में अचेत अवस्था में पड़ी हुई है।

सूचना पर थाना सिहानी गेट पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ होटल के कमरा नंबर-207 में महिला आरती पत्नी स्वर्गीय रोहित कुमार, निवासी कोटगांव, गाजियाबाद मृत अवस्था में पाई गई। महिला के साथ होटल में रुके व्यक्ति की पहचान प्रवीन कुमार पुत्र बालचन्द, निवासी सेवा नगर, गाजियाबाद के रूप में हुई।

प्रथम दृष्टया परिस्थितियाँ संदिग्ध पाई गईं। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि मृतका के शरीर पर कई गंभीर बाह्य व आंतरिक चोटें थीं। दोनों ओर पसलियों के कई फ्रैक्चर, फेफड़े एवं लीवर फटे हुए तथा सीने व पेट में अत्यधिक रक्तस्राव पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "Shock and Haemorrhage due to Ante-mortem Injuries" अंकित किया गया है।

मृतका के पुत्र दक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सिहानी गेट पर मु0अ0सं0 20/26 धारा 103(1) BNS (हत्या) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त प्रवीन कुमार को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मृतका आरती उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी स्व0 रोहित कुमार नि0 222 गली नं0 3 सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद की शादी हमारे मौहल्ले के रोहित से हुई थी। करीब 03 वर्ष पूर्व मेरी मित्रता आरती से हो गयी और हमारी मित्रता प्रेम प्रसंग में बदल गयी। करीब 02 वर्ष रोहित की भी मृत्यु हो गयी। उसके बाद हम लोग अक्सर मिलते थे। दिनांक 10.01.2026 की रात्रि को मैं और आरती होटल न्यू रायल किंग पटेल नगर में गए और कमरा नं0 207 में रुके। वहाँ पर हम दोनों ने साथ में शराब पी थोड़ा खाना खाया। कुछ खाना शेष भी बच गया था। उसके बावजूद मेरी और आरती की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी। जिस पर आरती ने मुझे एक थप्पड मार दिया। उसके बाद मैने भी आरती को कोहनी और मुक्कों से मारा। जिस पर आरती ने मेरा चेहरा नोंच लिया। उसके बाद मुझे और गुस्सा आया। फिर मैंने आरती की दोनों तरफ पसलियों पर भी मुक्के व कोहनियों से वार किया। यह घटना रात्रि 12 बजे के आसपास की है। फिर मैने आरती को हिलाडुला कर देखा। मुझे यह विश्वास हो गया कि यह मर गयी तो मैं वहीं कमरे में उसी के पास बैड पर काफी देर तक बैठा रहा। सोचता रहा कि क्या करूँ। मेरी समझ में आया कि यदि अभी मैं रात्रि में होटल से निकल कर गया तो होटल वालों को शक हो जाएगा। इसके बाद मैं लेट गया और मैने विचार किया कि मैं सुबह किसी बहाने से होटल से निकल जाऊंगा। फिर मेरी आँख लग गयी।

सुबह करीब साढे सात बजे मेरी आँख खुली। मैं जल्दी से उठा और होटल से निकल कर जाने लगा। मैं कुछ घबराया हुआ भी था, तो होटल वालों ने मुझे पूछा घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तो मैं और घबरा गया और जल्दी से बिना कुछ बताए होटल से बाहर निकलने का प्रयास किया। तब होटल वालों ने मुझे रोका और होटल का गेट बन्द कर दिया। तब मैने उनके सामने झूठ बोला कि पता नहीं मेरी महिला मित्र आरती को क्या हो गया है वह उठ नहीं रही है। तब मैंने 112 पर यह सोचकर सूचना दे दी कि मेरे ऊपर होटल वालों को शक न हो और मुझे मौके से पुलिस भी ना पकडे और मैं कहीं भाग जाऊँ क्योंकि आरती के शरीर पर बाहर से देखने पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे ।यह पूछने पर कि केवल कहासुनी के लिए इतना क्यों मारा तो बताया साहब मुझे शक था कि आरती किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.प्रवीन कुमार पुत्र बालचंद निवासी म0नं0 563 गली नं0 6 सेवा नगर थाना नंदग्राम गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त प्रवीन उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में महिला थाना पर दहेज अधि. का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

यातायात व्यवस्था सुधार हेतु लोहा मंडी में सघन प्रवर्तन कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशों के क्रम में तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात) एवं पुलिस उपायुक्त–यातायात के कुशल पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न माध्यमों (जनशिकायत, कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया आदि) से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त–यातायात प्रथम के नेतृत्व में बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, लोहा मंडी में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनधिकृत रूप से मुख्य मार्ग पर खड़े व्यावसायिक वाहनों जैसे ट्रक, ट्रॉला, ट्रैक्टर आदि के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। अभियान में यातायात निरीक्षक–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ऐसे वाहनों को क्रेन/हाइड्रा की सहायता से टो कराकर निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा कराते हुए संबंधित वाहन स्वामी/संरक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही भी अमल में लाई गई तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए।

यातायात पुलिस द्वारा उक्त क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को स्थायी रूप से सुदृढ़ बनाए रखने हेतु नियमित रूप से अतिरिक्त ट्रेमो मोबाइल के साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर निगरानी एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष **2025** में यातायात पुलिस द्वारा लोहा मंडी क्षेत्र के साथ-

साथ सम्पूर्ण गाजियाबाद कमिश्नरेट में नो-पार्किंग जोन में खड़े कुल **1,71,692** वाहनों के चालान किए जा चुके हैं, जो सतत रूप से जारी है।

भविष्य में यदि उक्त मार्ग पर नो-पार्किंग क्षेत्र में इस प्रकार का वाहन खड़ा पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध चालानी एवं टो की कार्यवाही के साथ-साथ विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

गाजियाबाद यातायात पुलिस नागरिकों को सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 03 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी एक्टिवा 3G व अन्य चोरी की गयी मोटरसाईकिलों के कटे हिस्से, पुर्जे व घटना में प्रयुक्त एक टाटा ऐस (छोटा हाथी) बरामद ।

घटना का विवरण -दिनांक 16.12.2025 को वादी श्री शाहिल निवासी रईसपुर, थाना बापूधाम, गाजियाबाद द्वारा अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजि.सं. UP14EW2393 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में; दिनांक 07.01.2026 को वादी श्री सुमाईल निवासी खिचरा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ द्वारा अपनी मोटरसाइकिल रजि.सं. UP37J9233 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में; दिनांक 11.01.2026 को वादी श्री राजीव निवासी ग्राम इनायतपुर, थाना वेवसिटी, गाजियाबाद द्वारा अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि.सं. UP14FR7352 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में; तथा दिनांक 11.01.2026 को वादिया श्रीमती जहाँ आरा खातून निवासी आनंदावास सेक्टर-3, आदित्य वर्ल्ड सिटी, गाजियाबाद द्वारा अपनी मोटरसाइकिल रजि.सं. UP16CR6530 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना वेवसिटी पर अभियोग क्रमशः मु.अ.सं. 367/25, मु.अ.सं. 07/2026, मु.अ.सं. 09/2026 तथा मु.अ.सं. 10/2026 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किए गए। इनकी बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण -दिनांक 12.01.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान तथा मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्तगण—(1) गोविन्द पुत्र संतराम निवासी सुदामापुरी, थाना क्रासिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद; (2) नदीम पुत्र इदरीश निवासी ग्राम ढबारसी, थाना मसूरी, गाजियाबाद; (3) समद पुत्र शादाब निवासी ग्राम देहपा, थाना पिलखुवा, हापुड़ (हाल पता: मौलाना खालिद के मदरसे के पीछे मुगल गार्डन, मसूरी, थाना मसूरी, गाजियाबाद); तथा (4) शाहरुख पुत्र वकील निवासी ताज कॉलोनी, मसूरी, थाना मसूरी, गाजियाबाद—को कम्पोजिट स्कूल डासना से फिटनेस सेंटर की ओर जाने वाले मार्ग पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से (1) मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (रंग काला, बिना पहियों के) रजि.सं. UP14FR7352 सम्बन्धित मु.अ.सं. 09/2026 धारा 303(2) BNS थाना वेवसिटी;

(2) मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर चैसिस नं. MBLHAR086JHD27311 सम्बन्धित मु.अ.सं. 22/26 थाना पिलखुवा, हापुड़; (3) मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर (बिना नंबर प्लेट) चैसिस नं. MBLHAW095KHB46421 सम्बन्धित मु.अ.सं. 418/25 थाना नंदग्राम, गाजियाबाद; (4) स्कूटी एक्टिवा 3G (बिना नंबर प्लेट) चैसिस नं. ME4JF506MF7018119 सम्बन्धित मु.अ.सं. 630/25 थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद; (5) एक प्लास्टिक बोरा जिसमें अन्य चोरी की गई मोटरसाइकिलों के कटे हुए पुर्जे (सम्बन्धित मु.अ.सं. 367/25, 07/2026 एवं 10/2026 धारा 303(2) BNS थाना वेवसिटी); तथा (6) चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त वाहन टाटा एक्स (छोटा हाथी, रंग सफेद) रजि.सं. DL1LAE8584 बरामद किया गया है बरामद वाहन व मोटरसाईकिलों के हिस्से व पुर्जे के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 11/2026 धारा 317(2)/317(5)/3(5) BNS पंजीकृत किया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्तगण ने पूछताछ पर स्वीकार किया कि हम चारों ने मिलकर विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल एवं स्कूटी चोरी की हैं। कटे हुए पुर्जों के बारे में बताया कि ये भी हमारे द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिलें जिनको हम पहले ही दिल्ली बेच चुके है, इनको भी दिल्ली ले जाकर बेचने जा रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल रजि.सं. UP14FR7352 (बिना पहियों) करीब एक माह पूर्व खाद गोदाम डासना के पास से; मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर (बिना नंबरप्लेट) करीब चार दिन पूर्व पिलखुवा में एचडीएफसी बैंक के पास से; स्कूटी एक्टिवा 3G (बिना नंबर प्लेट) करीब 7-8 माह पूर्व शिप्रा सनसिटी से; तथा मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर (बिना नंबर प्लेट) करीब 6 माह पूर्व उत्तरांचल नगर, नंदग्राम, गाजियाबाद से चोरी की थी। प्लास्टिक बोरे के कटे पुर्जे डासना से चोरी की गई तीन मोटरसाइकिलों के हैं।

चोरी का तरीका-अभियुक्तगण ने बताया कि समद मोटरसाइकिल के तार जोड़कर वाहन स्टार्ट कर लेता है तथा वाहन लेकर भाग जाता है। गोविन्द, शाहरुख एवं नदीम थोड़ी दूरी पर खड़े होकर आने-जाने वालों एवं पुलिस पर नजर रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता पहुँचाते हैं। उसके बाद वाहनों को शाहरुख की दुकान पर ले जाकर नंबर प्लेट हटाते हैं, पुर्जे अलग करते हैं तथा गोविन्द के टाटा ऐस में भरकर सीमापुरी, दिल्ली में बेच देते हैं।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

- **समद**: थाना वेव सिटी पर 06 अभियोग, थाना नंदग्राम व थाना इन्द्रापुरम पर 01-01 अभियोग, थाना पिलखुवा पर 01 अभियोग।
- **नदीम**: थाना वेव सिटी पर 05 अभियोग, थाना मसूरी पर 02 अभियोग, थाना नंदग्राम व थाना इन्द्रापुरम पर 01-01 अभियोग, थाना पिलखुवा पर 01 अभियोग।
- **शाहरुख**: थाना वेव सिटी पर 05 अभियोग, थाना नंदग्राम व थाना इन्द्रापुरम पर 01-01 अभियोग, थाना पिलखुवा पर 01 अभियोग।

- **गोविन्द**: थाना वेव सिटी पर 05 अभियोग, थाना नंदग्राम व थाना इन्द्रापुरम पर 01-01 अभियोग, थाना पिलखुवा पर 01 अभियोग।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी संकलित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. गोविन्द पुत्र संतराम, निवासी सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद (उम्र 32 वर्ष)
2. नदीम पुत्र इदरीश, निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी, गाजियाबाद (उम्र 32 वर्ष)
3. समद पुत्र शादाब, निवासी ग्राम देहपा थाना पिलखुवा, हापुड़ (उम्र 20 वर्ष)
4. शाहरुख पुत्र वकील, निवासी ताज कॉलोनी थाना मसूरी, गाजियाबाद (उम्र 28 वर्ष)

बरामदगी

- 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि. सं. UP14FR7352 (बिना पहियों के)
- 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजि. सं. UP14DQ4757
- 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजि. सं. UP14DY6103
- 01 स्कूटी एक्टिवा 3G रजि. सं. DL9SAW7508
- 01 प्लास्टिक बोरा जिसमें चोरी की गई अन्य 03 मोटरसाइकिलों के कटे हुए हिस्से व पुर्जे
- 01 वाहन टाटा ऐस (छोटा हाथी) रजि. सं. DL1LAE8584, चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।